न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

बालूराम बनाम पूनाराम वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 181/2025 (ब्यावर)

रिफा०ऽ 23/4/25

	श्री धर्मेन्द्र टांक	
15.04.2025	बालूराम बनाम पूनाराम वगैरह (2025/181) यह अपील श्री धर्मेन्द्रसिंह टांक एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 7/2025 (2025/36) में पारित आदेश दिनांक 25.03.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 16.04.2025 को पेश हो।	
16.04.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 23.04.2025 को पेश हो।	
23.04.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 16.04.2025 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति एवं अपील मिमो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 28.01.2025 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। दिनांक 28.01.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दर्ज कर प्रार्थी/अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनने के उपरांत अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप अंकित किया गया था कि **"उक्त आदेश आगामी पेशी तक ही मान्य रहेगा"** तथा आगामी पेशी दिनांक 19.02.2025 नियत की गई। दिनांक 19.02.2025 विचाराधीन प्रकरण में नोटिस प्राप्त हुए जिसमें कई पक्षकारों के फौत होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर प्रार्थी को कायम मुकाम किये जाने के आदेश दिये जाकर आगामी पेशी दिनांक 05.05.2025 नियत की गई। प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से दिनांक 25.03.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा स्थगन आदेश को आगामी पेशी तक प्रभावी रखे जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा स्थगन आदेश को आगे नहीं बढाकर स्पष्टतया आदेश दिनांक 28.01.2025 का हवाला देते हुए यह अंकित किया कि अंतरिम स्थगन आदेश को दिनांक 19.02.2025 तक ही प्रभावी किया गया था तथा प्रकरण में काफी पक्षकारों के फौत होने एवं तामिली के अभाव में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे बढाया जाना न्यायोचित नहीं है तथा आगामी पेशी दिनांक 05.05.2025 तय की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

काश्तकारी अधिनियम अभी विचाराधीन है जिसको अंतिम रूप से निस्तारित नहीं किया गया। कई पक्षकार फौत हो चुके है तथा उनकी कायम मुकाम की कार्यवाही भी शेष है। अतः हम पक्षकारों के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्यनजर रखते हुए अपील इसी स्तर पर निर्णित कर अधीनस्थ न्यायलाय को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यवार को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

Scanned with CamScanner